

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

(प्रशासनिक भवन : कड़वड़, नागौर रोड़, जोधपुर)


डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मसी सत्र 2018-19

काउंसलिंग के समय ध्यान रखने योग्य बातें।

1. कृपया काउंसलिंग स्थल पर समय पर पहुँचना सुनिश्चित करें।
2. काउंसलिंग में प्रवेश के लिए 10,000/- रुपये का डिमांड ड्रॉफ्ट जो कि "रजिस्ट्रार, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर" के नाम देय हो साथ में लाना अनिवार्य है। प्रवेश निरस्त करवाने की स्थिति में यह शुल्क रिफण्डेबल नहीं होगा।

निम्न दस्तावेजों को मूल रूप में अवश्य साथ लावें :-

1. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
 2. बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंक तालिका
 3. अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र
 4. अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र
 5. अभ्यर्थी का विशेष योग्यजन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (PH प्रमाण पत्र)
 6. अन्य प्रमाण पत्र इत्यादि
3. डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मसी सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु वरियता सूची का निर्धारण अभ्यर्थी की 12 वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर दिया जावेगा।
4. नवीन ईच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया है, उन्हें 10000/- रु काउंसलिंग शुल्क के अलावा आवेदन शुल्क राशि (सामान्य, ओ.बी.सी. हेतु 1200/- रु एससी/एसटी वर्ग हेतु 600/- रुपये) अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी।


21/07/2018

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
(प्रशासनिक भवन : कड़वड़, नागौर रोड़, जोधपुर)

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मसी सत्र 2018-19

1. आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 में प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष (ढाई वर्षीय सैद्धान्तिक एवं 6 माह की इन्टर्नशिप) निर्धारित हैं
 - (1) प्रवेश 12 वीं कक्षा में प्राप्ताकों की मैरिट के क्रम से किये जावेंगे।
 - (2) प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन मैरिट अनुसार सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।
 - (3) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये।
2. आयुर्वेद विभाग के परिचारकों, जिनके लिए राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में 10 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. 01 दिसम्बर 2018 या इससे पूर्व 17 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है।
4. काउंसलिंग में प्रवेश के लिए 10,000/- रुपये का डिमांड ड्रॉफ्ट जो कि "रजिस्ट्रार, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर" के नाम देय हो साथ में लाना अनिवार्य है। प्रवेश निरस्त करवाने की स्थिति में यह शुल्क रिफण्डेबल नहीं होगा।
5. काउंसलिंग के पश्चात् सीटें रिक्त रहने पर नवीन ईच्छुक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।
6. विकलांग अभ्यर्थियों को सक्षम राजकीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी। विकलांग संवर्ग में ओ.एल./बी.एल. (One Leg/Both Leg) प्रमाणित अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।
7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी।
8. प्रवेश संबंधित अंतिम निर्णय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का होगा एवं इस संबंध में किसी भी न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

1/12/18
कुलसचिव